**मैसर्स माधवानन्द पाठक, वड्यूड़ा सोप स्टोन माईन ग्राम वड्यूड़ा तोक चक पहरूड़ा तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 02.09.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।**

मैसर्स माधवानन्द पाठक, वड्यूड़ा सोप स्टोन माईन ग्राम वड्यूड़ा तोक चक पहरूड़ा तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड (क्षेत्रफल 4.716 है0) हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना– 2006 यथासंशोधित के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों राष्ट्रीय सहारा एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 31.07.2024 के अंकों में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 02.09.2024 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई थी तदक्रम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 02.09.2024 को निकट परियोजना स्थल तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित कार्मिकों व ग्रामीणों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था ईको पर्यावरण लैबोरेटरीज एण्ड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के श्री भुवन जोशी द्वारा उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए इकाई का विवरण प्रस्तुत किया गया। विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना ईआईए अधिसूचना,2006 यथासंशोधित के अनुसार मुख्यतः बी 1 श्रेणी का प्रोजेक्ट है। प्रस्तावित परियोजना को पूर्व में DEIAA के द्वारा पर्यावरण मंजूरी निर्गत की गयी थी जिसके तहत खनन कार्य किया जा रहा था, परन्तु मा0 एनजीटी के आदेशानुसार परियावरणी की स्वीकृति पुर्नमूल्यांकन के SEIAA में आवेदन किया गया। प्रस्तावित परियोजना का टी0आ0आर0 SEIAA उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 13.12.2023 द्वारा जारी किया गया है तथा प्रस्तावित परियोजना को पूर्व में वर्ष,2016 में आशय पत्र जारी किया गया है

क्रमशः–2

तथा परियोजना का माईनिंग प्लान जिला खान अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, बागेश्वर द्वारा सत्यापित किया गया है तथा खनन योजना 05 वर्षों के लिए प्रस्तावित है खनन क्षेत्र में आवासीय मकान, सड़क, पहुँच मार्ग, खच्चर मार्ग, विद्युत लाईन व धार्मिक स्थल आदि का कोई प्रतिबन्धित क्षेत्र नहीं है। खनन प्रथम वर्ष में 10,480 टन, द्वितीय वर्ष 11,830 टन, तृतीया वर्ष में 12,870 टन, चतुर्थ वर्ष में 16,218 टन तथा पंचम वर्ष में 18,386 टन प्रस्तावित है जिस हेतु कुल 59 मानव शक्ति की आवश्यकता होगी जिस हेतु स्थानीय लोगों को वरियता दी जायेगी। खनन क्षेत्र में मौसमी तथा बाराहमासी जल निकासी मौजूद नहीं हैं। खनन तथा परिवहन के दौरान धूल को दबाने हेतु हॉल रोड पर पानी का छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है। खनन के दौरान ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग नहीं होगी। प्रस्तावित परियोजना के 10 किमी0 के अन्तर्गत कोई नैशनल पार्क व वाईल्ड लाइफ सैन्चुरी स्थित नहीं है। प्रस्तावित खदान में बेस लाईन डाटा का कार्य अक्टूबर,2023 से दिसम्बर,2023 तक किया गया है। प्रस्तावित खदान के आस–पास के पर्यावरण पर खनन के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपायों का उपयोग किया जायेगा। परियोजना के सीईआर मद में रू0– 01.00 (लाख में) प्रति वर्ष तथा सीएसआर मद में रू0– 04.00 (लाख में) प्रतिवर्ष धन का आवंटन किया गया है। पर्यावरणीय निगरानी हेतु धूल नियंत्रण/वायु/जल/मृदा/ध्वनि अनुसरण तथा पौधारोपण सहित अन्य मदों में भी बजट का प्राविधान किया गया है। खनन परियोजना से रोजगार सृजन होगा। जीवन स्तर में सुधार आयेगा। राजस्व में वृद्धि होगी। सामुदायिक प्रभाव लाभकारी होंगे। खनन परियोजना खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव डाले आगे बढ़ सकती है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका–टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। उपस्थित टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत हैः–

1. श्री नन्दन कुमार पुत्र श्री गोपाल राम ग्राम वड्यूड़ा तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री नन्दन कुमार द्वारा कहा गया कि खनन परियोजना संचालित हो जिससे ग्रामीणों को लाभ प्राप्त हो सके वह ग्राम वड्यूड़ा के भूमिधारी हैं।
2. श्री प्रताप राम पुत्र श्री प्रेम राम ग्राम वड्यूड़ा तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री प्रताप राम द्वारा कहा गया कि माईन का कार्य किया जाना चाहिए जिसमें लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इस प्रस्तावित परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।
3. श्री अधी राम पुत्र प्रेम राम ग्राम वड्यूड़ा तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री अधी राम द्वारा कहा गया कि क्षेत्रान्तर्गत माईन सफल नहीं है।
4. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बहादुर राम ग्राम वड्यूड़ा तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा कहा गया कि यह माईन तो चलती है परन्तु खेतों में कुछ काम नहीं हो पता है चूंकि माईन से मलुवा नाले के द्वारा खेतों में पानी भर जाता है और इसको कोई देखने वाला नहीं है। 3–4 वर्ष से माईन बन्द पड़ी है और उसका कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है।

क्रमशः–3

पट्टाधारक को फोन करते हैं तो उसके द्वारा अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा गया है। यहां पर उपस्थित लोगों को माईन से कोई न कोई दिक्कत अवश्य ही है और उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि वह अपनी बता रखें। और आगे कहा कि माईन चले परन्तु जिन काश्तकारों का जो भी उचित मुआवजा बनता है उसका भुगतान किया जाय।

तदक्रम में अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनता से कहा कि आज इस माईन की सुनवाई हो रही है तो केवल इस माईन के संबंध में ही अपने विचार रखे कि इस माईन से जंगल व खेतों को जाने वाले रास्ते, नदी व पेयजल स्त्रोतों को नुकसान या गांव वालों को माईन की धूल से कोई समस्या है तो अवगत कराने हेतु कहा गया। इस क्रम में श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा पुनः अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि माईन से खेतों में घुसने वाले पानी को रोकने के लिए किये गये उपायों की निगरानी की जानी चाहिए।

5. श्री आनन्द राम (पूर्व प्रधान) पुत्र मोहन राम ग्राम वड्यूड़ा तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री आनन्द राम द्वारा कहा गया कि माईन के बीचों–बीच जिला परिषद का रास्ता आता है जिससे पूर्व में लोग मुनस्यारी से कपकोट आवागमन करते थे यह रास्ता क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए व पूर्ववत्त बना रहना चाहिए और जो माईन में मशीन आती है वह इस रास्ते से न आकर पट्टाधारक मशीन हेतु पृथक से रास्ता सुनिश्चित कर लें ताकि ग्रामीणों को कोई समस्या उत्पन्न न होने पाये। गधेरों से खेतों की सिंचाई व रौपाई हेतु गूल बनायी गयी है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए पानी सुचारू रूप से चल सके उसका सुधारीकरण व वैज्ञानिक विधि से खनन कार्य होना चाहिए।

6. श्री हरीश चन्द्र पाठक पुत्र श्री माधवा नन्द पाठक (पट्टाधारक)– श्री पाठक द्वारा कहा गया कि ग्रामीणों का जो भी मुआवजा अवशेष है उसका वह ससमय ग्रामीणों को भुगतान करेंगे साथ ही पर्यावरण विभाग से जो भी अनुपालन अपेक्षित होगा उसको वह सुनिश्चित करेंगे।

तद्क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा पट्टाधारक को अवगत कराया गया कि श्री मोहन राम पुत्र श्री जोगा राम ग्राम वड्यूड़ा द्वारा लिखित में दिया गया है कि उनके द्वारा पट्टाधारक से 02 वर्ष का अनुबन्ध खनन हेतु किया गया था परन्तु उनको 01 वर्ष का ही मुआवजा भुगतान किया गया है 01 वर्ष के मुआवजे का भुगतान शेष है। इसी क्रम में पट्टाधारक द्वारा बताया गया कि खनन क्षेत्रान्तर्गत भारत सरकार की भूमि में खनन होने से उनको पैनाल्टी पड़ी जिस कारण खनन कार्य नहीं हो पाने के कारण मुआवजा का भुगतान नहीं हो पाया है। खनन कार्य प्रारम्भ हो जाने पर मुआवजे के भुगतान किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः पट्टाधारक को कहा गया कि खनन से पूर्व पटवारी के माध्यम से भूमि की पड़ताल करानी चाहिए कि कौन सी भूमि नाप है और कौन सी भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की भूमि है। अनुबन्ध के आधार पर मुआवजे का भुगतान होना चाहिए था।

क्रमशः–4

तथा आगे कहा कि पट्टाधारक सार्वजनिक रास्तों, पेयजल स्त्रोतों एवं लाईनों, सिंचाई हेतु गूलों व खनन क्षेत्र के बीचों–बीच से गुजरनी वाली जिला परिषद के रास्ते को बिना कोई नुकसान पहुँचाये हुए निर्धारित दूरी के उपरान्त ही खनन कार्य किये जाने की अपेक्षा की गयी यदि खनन कार्य से किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति को कोई नुकसान होता है तो पट्टाधारक को सम्पति के पुर्ननिर्माण के साथ–साथ उचित अर्थ दण्ड के लिए भी तैयार रहना होगा। इसी प्रकार पट्टाधारक द्वारा सीईआर मद में ग्रामीण सड़को के रख–रखाव हेतु जो 50 हजार रू0 की धनराशि का प्राविधान किया गया है निर्धारित धनराशि काफी कम है इसको बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार सी0एस0आर0 मद में प्राविधानित धनराशि रू0– 1.20 (लाख में) से स्कूलों में छात्र–छात्राओं को कापी–किताब बाँटने के लिए जो धनराशि रखी गयी है पृच्छा करने पर क्षेत्रीय लोगों द्वारा अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में लाया गया कि क्षेत्रान्तर्गत 10–12 विद्यालय संचालित है। जिस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि लगभग सभी खनन पट्टाधारकों द्वारा इसी को प्रस्तावित किया गया है। इसको स्थानीय ग्रामीणों की आवश्यकताओं के आधार पर प्रस्तावित किये जाने की आवश्यकता है तथा प्रसतावित धनराशि से प्रतिवर्ष छात्र–छात्राओं की कापी–किताबों पर जो व्यय किये जाने का प्रविधान किया गया है इसके डक्यूमेण्ट भी संबंधित पट्टाधारक के पास संरक्षित होने चाहिए जिसका समय–समय पर ग्रामीणों को पर्यवेक्षण किये जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार धनराशि रू0– 01.00 (लाख में) की प्रतिवर्ष क्षतिग्रस्त स्कूलों के शौचालयों की मरम्मत हेतु प्रस्तावित की गयी है जो प्रत्येक वर्ष व्यय होनी ही है विद्यालय के शौचालय प्रतिवर्ष क्षतिग्रस्त तो नहीं होंगे फिर इसका क्या औचित्य है। क्षेत्र के समस्त पट्टाधारकों को इसको देखने की जरूरत है। गांव के जनप्रतिनिधि आपस में समन्वय स्थापित कर तय कर लें कि किस गांव के लिए क्या कार्य प्रस्तावित किया जाना है तो यह उचित होगा। छोटे–छोटे कार्य किये जाने से कोई फायदा नहीं है कोई बड़ा कार्य होना चाहिए ताकि ग्रामीणों को दिखायी दे कि क्षेत्रान्तर्गत खनन पट्टाधारकों द्वारा कोई कार्य किया गया है। क्षेत्रान्तर्गत लगभग 15–20 माईन सम्भवतः संचालित है यदि एक पट्टाधारक द्वारा जनकल्याणार्थ रू0– 01.00 (लाख में) दिया जाता है तो इस प्रकार धनराशि रू0– 15–20 (लाख में) एवं 05 वर्ष में लगभग 01.00 (करोड़ में) से क्षेत्रान्तर्गत जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के समन्वय से जनकल्याणार्थ कोई महत्वपूर्ण/बड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है इसको देखने की आवश्यकता है। पट्टाधारकों द्वारा प्रस्तावित किये जा रहे कार्य गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए। रास्तों, नाले आदि को संरक्षित करते हुए खनन कार्य हो जिन काश्तकारों के खेतों को खनन हेतु लीज पर नहीं लिया गया है खनन कार्य के समय उन काश्तकारों के खेतों को कोई नुकसान न हो इसका भी ध्यान रखा जाना होगा। यदि खनन से किसी के खेतों को नुकसान होता है तो तत्काल उनके रिटेनिंग वॉल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। मुआवजा के प्रकरणों पर ग्रामीणों के साथ खनन से पूर्व अनुबन्ध सम्पादित कर अनुबन्ध की शर्तों के आधार पर मुआवजा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन होने पर कोई भी पक्ष मा0 न्यायालय के शरण में जाने पर स्वतन्त्र है।

क्रमशः–5

मुआवजे का भुगतान चैक के माध्यम से होना चाहिए। मुआवजे की धनराशि एक खाते से दूसरे खाते में भुगतान होगी तो उसका एक रिकार्ड सक्रिय होता है जिससे भुगतान उपरान्त कोई भी संशय उत्पन्न नहीं होता है तथा उपस्थित ग्रामीणों से पुनः सुझाव/ आपत्तियों हेतु अनुरोध किया गया।

तत्क्रम में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा उपस्थित लोगों से पुनः सुझाव/आपत्तियों हेतु अनुरोध किया गया तथा कहा गया कि अध्यक्ष महोदय द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं जिनका पट्टाधारक से अनुपालन किये जाने की अपेक्षा गयी जो क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण होगी जिसका क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव होगा और आगे कहा गया कि प्राप्त सुझावों/आपत्तियों को जनसुनवाई के कार्यवृत्त में सम्मिलित किया जायेगा तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम स्तर को प्रेषित जायेगा।

अन्त में अन्य सुझाव/आपत्तियां/टिप्पणी प्राप्त न होने पर आयोजित जनसुनवाई मे उपस्थित क्षेत्रवासियों, परियोजना प्रस्तावक व अन्य लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति दर्ज पंजिका की गयी।

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।

(एन0एस0 नबियाल),
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।

मै० वड्यूडा तोक चक पहलड़ा, सोपस्टोन माईनिंग द्वारा श्री माधवानन्द पाठक पुत्र स्व श्री अम्बादत्त पाठक द्वारा ग्राम- वड्यूडा तोक चक पहलड़ा तहसील- दुगनाकुरी, जिला- बागेश्वर, उत्तराखण्ड में प्रस्तावित सोपस्टोन खनन परियोजना (कुल क्षेत्रफल - 4.716 है०) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोकसुनवाई में उपस्थिति का विवरण:-

लोकसुनवाई स्थल - निकट ग्राम- वड्यूडा तोक चक पहलड़ा
समय एवं तिथि - प्रातः 11 बजे दि० 02/09/2024

| क्र०सं० | नाम | पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 01. | एन० एस० नबियाल | अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर | [illegible] |
| 02. | एच० सी० जोशी | सहा० वैज्ञा० अधिकारी (उ०के०पी०सी०बी०) | [illegible] |
| 03. | भुवन जोशी | पर्यावरण सलाहकार | [illegible] |
| 04. | शुभम गुसाईं | अवर अभियंता (उ०के०पी०सी०बी०) | [illegible] |
| 05. | दीपक भौरियाल | राजस्व उपनिरीक्षक | [illegible] |
| 06. | हरीश चन्द्र पाठक | श्री माधवानन्द पाठक जी | हरीश चन्द्र |
| 07. | [illegible] | PA to ADM | [illegible] |
| 08 | विवेक कुमार | पर्यावरण सलाहकार स्टाफ | Vivek |
| 09. | CHANDRAPRAKASH PANT | बागेश्वर | [illegible] |
| 10. | दिवाकर पन्त | बागेश्वर | [illegible] |
| 11. | महेन्द्र सिंह चौहान | बिड़ई धार | [illegible] |
| 12. | GOVIND BISHT | BAGESHWAR | [illegible] |
| 13. | खुशाल राम | वड्यूडा | खुशाल राम |
| 14. | नन्दन कुमार | वड्यूडा | [illegible] |
| 15. | अशोक कुमार | वड्यूडा | [illegible] |
| 16. | अजय चन्द्र | वड्यूडा | [illegible] |
| 17. | हरी राम | वड्यूडा | हरी राम |
| 18. | परम राम | वड्यूडा | परमराम |
| 19. | कबिन्द्र सिंह चौहान | बिड़ई | Kabinder Singh |
| 20. | दीवानराम | वड्यूडा | [illegible] |
| 21. | आनन्द प्रसाद | वड्यूडा | [illegible] |
| 22. | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 23. | नन्दन प्रसाद | वड्यूडा | Nandan |
| 24. | चंचल कुमार | वड्यूडा | [illegible] |
| 25. | जगदीश प्रसाद | [illegible] | जगदीश प्रसाद |
| 26. | जितेन्द्र राम | वड्यूडा | जितेन्द्र राम |

जन सुनवाई
खनन परियोजना: श्री माधवानन्द पाठक, वडयूडा सोपस्टोन माईन
ग्राम: वडयूडा तोक चक पहरूडा, तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर
सोपस्टोन माइनिंग क्षेत्रफल: 4.716 हे0
सुनवाई स्थल: निकट परियोजना स्थल
समय एवं तिथि: प्रात: 11 बजे, दिनांक: 02/09/2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक: क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
आवास विकास कॉलौनी, हल्द्वानी-263139 (नैनीताल)
परियोजक प्रस्तावक: श्री माधवानन्द पाठक
पर्यावरणीय सलाहकार: ईको पर्यावरण लैबोरेटरीज एण्ड कन्सलटेंट प्रा. लि.

जन सुनवाई
खनन परियोजना: श्री माधवानन्द पाठक, वडयूडा सोपस्टोन माईन
ग्राम: वडयूडा तोक चक पहरूडा, तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर
सोपस्टोन माइनिंग क्षेत्रफल: 4.716 हे0
सुनवाई स्थल: निकट परियोजना स्थल
समय एवं तिथि: प्रात: 11 बजे, दिनांक: 02/09/2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक: क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
आवास विकास कॉलौनी, हल्द्वानी-263139 (नैनीताल)

जन सुनवाई
खनन परियोजना: श्री माधवानन्द पाठक, वडयूडा सोपस्टोन माईन
ग्राम: वडयूडा तोक चक पहरूडा, तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर
सोपस्टोन माइनिंग क्षेत्रफल: 4.716 हे0
सुनवाई स्थल: निकट परियोजना स्थल
समय एवं तिथि: प्रात: 11 बजे, दिनांक: 02/09/2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक: क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
आवास विकास कॉलौनी, हल्द्वानी-263139 (नैनीताल)